



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1879]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2014/भाद्र 25, 1936

No.1879]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2014/BHADRA 25, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2014

आय-कर

का.आ. 2399(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय कर नियम, 1962 के नए परिशिष्ट 1 में, मूर्त आस्तियों से संबंधित भाग-क में, शीर्ष III. मशीनरी और संयंत्र के अधीन मद (8) की उपमद (xiii) में,—

(क) खंड (ठ) में, “31 मार्च, 2012 को या उससे पूर्व प्रतिष्ठापित” शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रतिष्ठापित” शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) खंड (ड) में, “31 मार्च, 2012 को या उससे पूर्व प्रतिष्ठापित” शब्दों के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रतिष्ठापित” शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 43/2014/फा.सं. 152/1/2013-टीपीएल]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (टीपीएल)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ.1902(अ), तारीख 25-07-2014 द्वारा संशोधित किए गए ।